हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

अष्टम् सत्र

बुधवार, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित:**

   (i) स्थगित
(ii) दिन के लिए } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित :**

   दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:**

   श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, बुधवार, 11 मार्च, 2020 से प्रारम्भ हो रहे सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे ।

3. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

   (1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

   (i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, पर्यवेक्षक (स्टाफ कार), वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या:पर0(ए0आर0)बी(15)-1/2018 19.10.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.11.2019 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वर्ग-III व वर्ग-IV के पदों पर भर्ती हेतु पात्रता, नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या:पर(एपी)-सी-सी(17)-2/2018 दिनांक 19.11.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.11.2019 को प्रकाशित ।

(2) **श्री महेन्द्र सिंह, जल शक्ति मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, प्रक्रिया अभियन्ता, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या:आई0पी0एच0-ए-ए(3)-7/2017 दिनांक 27.09.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.10.2019 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

4. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

(1) **श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2019-20),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति का **21वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 75वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **22वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 8वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति (वर्ष 2019-20)**, समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति के **चतुर्थ मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 7वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **19वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 9वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है ।

5. वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए बजट अनुमान:-

सामान्य चर्चा ।

शिमला-171 004 यशपाल शर्मा,
दिनांक: 6 मार्च, 2020 सचिव ।

***

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)